न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 131 / 2025(GCMS 2025/520)
(RTI No. 212471372188018)

श्री सुभाष कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद निवासी वार्ड नं. 22 लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर 94606—88197)

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं **तहसीलदार (राजस्व)**, सादुलशहर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

05.02.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी सुभाष कुमार स्वयं अथवा उनका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 19.11.2025 से तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई, इसलिए अपीलार्थी ने प्रथम अपील पेश कर, सहायक लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि सुभाष कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 19.11.2025 के द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी से निम्न एक बिन्दु की सूचना चाही थी :

> चक 15 एसडीएस पटवार हल्का खाटसजवार तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर के वर्ष 01.08.2019 से 31.03.2020 तक पटवारी दैनिक डायरी की प्रमाणित कॉपी (इस समय अवधि में मौका रिपार्ट)

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर ने अपने पत्र क्रमांक भू.अ./2026/185 दिनांक 27.01.2026 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

> संदर्भित विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रकरण में इस कार्यालय में दिनांक 23.01.2026 को अपीलार्थी श्री [illegible] द्वारा कार्यालय में उपस्थित होने पर जानकारी [illegible] इसी क्रम में अपीलार्थी की सहमति [illegible] सार कोई सूचना बकाया नहीं रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:29:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 131/2025
(GCMS No. 2025/520)
(RTI No. 212471372188018)

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.), सादुलशहर ने अपील का जवाब उक्तानुसार अपने पत्रांक भू.अ./2026/185 दिनांक 27.01.2026 से दिया है, जिसके अनुसार तहसीलदार (भू.अ.), सादुलशहर द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है, जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा सूचना प्राप्ति का सहमति पत्र पत्रावली में उपलब्ध है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध हो गई है, इसलिए इस अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण, अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य प्रतीत होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.), सादुलशहर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju
(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:29:45 IST
Reason: SelfAttested